

ई-मेल द्वारा

कार्यालय आयुक्त एवं निबंधक सहकारिता उत्तर प्रदेश।

परिपत्रांक <sup>डी-21</sup> / कृषि निवेश / बी-250(टीसी-1) दिनांक: लखनऊ: 04 मई 2018

1. समस्त सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक,

सहकारिता, उ०प्र०।

2. समस्त सचिव/मुख्य कार्यपालक अधिकारी,

जिला सहकारी बैंक लि०।

3. समस्त जिला प्रबन्धक

पी.सी.एफ. उ०प्र०।

विषय- दिनांक 01.06.2018 से इफको डीएपी उर्वरको की आपूर्ति व फुटकर बिक्री दरों के सम्बन्ध में।

राज्य विपणन प्रबन्धक इफको लखनऊ ने अपने पत्र सं० 4293-373 दिनांक 29.05.2018 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के माध्यम से अवगत कराया है कि इफको विपणन मुख्यालय नई दिल्ली के ई-मेल दिनांक 21.05.2018 द्वारा सूचित किया गया है कि दिनांक 01.06.2018 से आपूर्ति होने वाले डीएपी उर्वरक की आपूर्ति व फुटकर बिक्री दरों में, अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में डीएपी की दरों को दृष्टिगत रखते हुए वृद्धि की गयी है। तदनुसार इफको के प्रस्ताव के अनुसार दिनांक 01.06.2018 से नए एमआरपी प्रिन्ट के बोरो में उपलब्ध इफको डीएपी उर्वरको की आपूर्ति व फुटकर बिक्री दरें निम्नानुसार संसूचित की जाती हैं:-

(धनराशि रू० में)

क्र०	विवरण (प्रति मैटन)	डीएपी
1	एक्स फैक्ट्री प्राईस	24091.43
2	सी.जी.एस.टी. 2.5 प्रतिशत +	602.29
3	एस.जी.एस.टी. 2.5 प्रतिशत +	602.29
4	कुल जी.एस.टी. धनराशि	1204.58
5	नेट इश्यू प्राईस	25296.00
6	डीलर मार्जिन	480.00
7	पीओएस मशीन से बिक्री करने पर मार्जिन	0.00
8	डीलर मार्जिन पर सी.जी.एस.टी. 2.5 प्रतिशत +	12.00
9	डीलर मार्जिन पर एस.जी.एस.टी. 2.5 प्रतिशत +	12.00
10	डीलर मार्जिन पर कुल जी.एस.टी. धनराशि	24.00
11	कृषकों हेतु फुटकर बिक्री दर प्रति मैटन	25800.00
12	कृषकों हेतु फुटकर बिक्री दर प्रति 50 किलो बैग	1290.00

इफको द्वारा उक्त डीएपी उर्वरक की आपूर्ति व बिक्री निम्न शर्तों के अधीन की जायेगी:-

1. भारत सरकार के रसायन एवं उर्वरक मन्त्रालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या-15011/33/2017-डी.बी.टी. दिनांक 28.11.2017 के द्वारा सम्पूर्ण देश में उर्वरक अनुदान भुगतान में डी.बी.टी. को सम्पादित करने हेतु समय सारणी जारी की गयी है, जिसके अनुसार उत्तर प्रदेश में दिनांक 01.02.2018 से उर्वरको का बिक्रय पीओएस मशीन के माध्यम से किया जाना अनिवार्य कर दिया गया है।

-2-

34/डी०२/२०१८  
डा० 11/6/2018  
उभारी इफको

सहायक आयुक्त एवं सचिव सहकारिता (कृषि)  
कृषि विभाग, लखनऊ (SN)  
11/6/18

2. समितियों/भण्डारगृहो/मार्गस्थ संभार, जो पुराने एमआरपी प्रिन्ट का है,की बिक्री बोरे पर प्रिन्ट पुरानी दरो पर परिपत्रांक सी-59 दिनांक 08.1.2018 व सी-63 दिनांक 29.01.2018 के अनुसार की जायेगी।
3. आपूर्ति एवं बिक्री की उपरोक्त दरें नये एमआरपी प्रिन्ट के बोरो मे उपलब्ध फास्फेटिक उर्वरक के उपलब्ध संभार पर दिनांक 01.06.2018 से प्रभावी होंगी।
4. उर्वरको की बिक्री अनिवार्य रूप से पीओएस मशीन से ही की जाय जो बिक्री केन्द्र पीओएस मशीन द्वारा बिक्री नहीं करते है,उन्हे भारत सरकार के निर्देशानुसार यूरिया,डीएपी,एनपीके आदि अन्य रासायनिक उर्वरको की आपूर्ति न किया जाय। यह सुनिश्चित करने का दायित्व आपूर्तिकर्ताओ का होगा।
5. इफको द्वारा समितियों को आपूर्ति एफओआर आधार पर की जायेगी। इसके लिए परिवहन मद में समिति अथवा राज्य सरकार द्वारा कोई व्यय वहन नहीं किया जायेगा।

(नरेन्द्र कुमार सिंह)  
आयुक्त एवं निबन्धक  
सहकारिता, उ०प्र०  
लखनऊ।

परिपत्रांक : सी-21 / कृषि निवेश/बी-250 टीसी-1 दिनांक उक्त ।

प्रतिलिपि अधोलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. राज्य विपणन प्रबन्धक, इफको, 8, गोखलेमार्ग, लखनऊ।
2. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, पीसीएफ/यू०पी०सी०बी०, उ०प्र०।
3. समस्त मण्डलीय उप/संयुक्त आयुक्त एवं उप/संयुक्त निबन्धक, सहकारिता, उ०प्र०।
4. अपर आयुक्त एवं अपर निबन्धक, (कम्प्यूटर/वेब मास्टर) सहकारिता, उ०प्र०, मुख्यालय को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक, पीसीएफ, लखनऊ।
7. समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।
8. समस्त मंडलायुक्त, उ०प्र०।
9. प्रमुख सचिव, कृषि उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
10. अपर मुख्य सहकारिता, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
11. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ०प्र०शासन, लखनऊ।

(राम प्रकाश)  
अपर आयुक्त एवं अपर निबन्धक(कृ०नि०)  
सहकारिता, उ०प्र०  
लखनऊ।